न्यायलय उपखण्ड अधिकारी कोलायत

पीठासीन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील सं. 59/2016

अनवान

1. सहीराम } पिसरान बींज्याराम पुत्र खेताराम
2. गणपत }
3. रामनिवास पुत्र मामराज पुत्र चुंखा पुत्री बींज्याराम
4. बरजु पत्नि मामराज
5. बाधु पुत्री खेताराम
6. बींझाराम पुत्र खेताराम
7. रेश्माराम } पिसरान मलूकाराम पुत्र खेताराम
8. खेमाराम
9. भींयाराम
10. हुक्माराम
11. जीवणी
12. मीरा पत्नि मंगलाराम पुत्र जमना पुत्री खेताराम
13. भागीरथ पुत्र मंगलाराम पुत्र जमाना पुत्री खेताराम
14. शेतानाराम } पिसरान जमना पुत्री खेताराम
15. पाबुराम }
16. चतराराम } पिसरान बरसिंगाराम पुत्र मंगली पुत्री खेताराम
17. शिवनाथराम
18. भगवानाराम
19. सुगनी
20. ऐलची

समस्त जाति बिश्नोई निवासीगण फुलासर तहसील बज्जु जिला बीकानेर

अपीलांटगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) बज्जू
2. बनवारी लाल } पिसरान चुंखा पुत्री बींज्याराम पुत्र खेताराम
3. मांगीलाल }
4. भीखा पुत्री दोली पुत्री खेताराम

समस्त जाति बिश्नोई निवासी फुलासर तहसील बज्जु जिला बीकानेर

–रेस्पोडेण्टगण–

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अभिभाषकः–

1. श्री हरिराम बिश्नोई वकील अपीलांटगण
2. श्री हनुमान गिरि वकील रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4
3. राजपैराकार राज्य की ओर से

निर्णय

दिनांक 14/11/19

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

प्रस्तुत अपील अपीलार्थीगण की ओर से श्री हरिराम बिश्नोई एडवोकेट ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत आदेश विरूद्ध उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 के नामान्तरकरण सं. 79 दिनांक 10.11.2004 चक नं. 11 पी.एस.डी के विरूद्ध इस न्यायलय में दिनांक 09.03.2015 को प्रस्तुत की गयी।

संक्षेप में अपील प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम फुलासर बड़ा तहसील (बज्जु) के चक 11 पी.एस.डी. के मुरबा नं. 24/41 की 6 बीघा मुरबा नं. 24/25 की 17 बिस्वा 24/26 में 15 बीघा 24/34 में 13 बीघा मुरबा नं. 24/42 में 02 बीघा कुल 36 बीघा 17 बिस्वा भूमि बींज्याराम, मलूकाराम, बीझाराम, दोली, जमना, मंगली, बाधु पिसरान खेताराम जाति बिश्नोई निवासी फुलासर के नाम बहिस्सा बराबर यानि 1/7 हिस्सा प्रत्येक के हिस्सा पांती में दर्ज चली आ रही थी। उपरोक्त भूमि में सहहिस्सेदार बीज्याराम की मृत्यु होने पर विरासतन इन्तकाल सं. 79 जो दिनांक 10.11.2004 को स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलान्ट सं. 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट सं. 2,3 का 1/7 हिस्सा दर्ज करना था परन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट सं. 1,2 व मृतक चुंखा का 3/4 व अपीलान्ट सं. 3,4 का 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया। इस प्रकार उपरोक्त अपीलांट सं. 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट सं. 2,3 का सम्पूर्ण भूमि में चौथा हिस्सा दर्ज हो गया जबकि बींज्याराम के समस्त वारीस अपीलांट 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट सं. 2,3 का 1/7 हिस्सा बनता है। इस प्रकार उक्त हिस्सा पांती गलत दर्ज कर दी गई है जो की उक्त नामान्तरकरण सं. 79 चक 11 पी.एस.डी. उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 3 का आदेश दिनांक 10.11.2004 निरस्तनीय है निरस्त फरमावें। अपीलांट सं. 10 द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी मिलने पर खातेदारी भूमि का अपने हिस्से अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नं. 3 से दिनांक 3.02.2015 को निवेदन किया तब पटवारी हल्का ने रिकॉर्ड देखकर बताया की आपके इन्तकाल सं. 79 द्वारा विरासतन इन्तकाल में हिस्सा पांती गलत दर्ज हो गई है। जिसको अब अपील के जरिये ही दुरस्त किया जा सकता है। तब अपीलांट सं. 10 द्वारा उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र इन्तकाल सं. 79 का प्रस्तुत करने पर दिनांक 04.02.2015 को नकल प्राप्त करके सभी वारीसानों से राय मशविरा करके बीकानेर आकर वकील से कानूनी सलहा कर यह अपील सर्वप्रथम जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की गई व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 को नोटिस भेजकर तामिल करवाये गये जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 की तरफ से श्री हनुमान गिरि एडवोकेट उपस्थित आये व राज्य की ओर से पैरोकाराज उपस्थित आये।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला--बीकानेर

बहस योग्य अभिभाषक अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण की सुनी गयी अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे दर्ज समस्त तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की नामान्तरकरण सं. 79 में अपीलांटगण सं. 1 से 4 व रेस्पोडेन्ट सं. 2,3 का हिस्सा पांती गलत दर्ज हो गया है जो दुरस्त करवाना चाहते है। वकिल रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 ने उक्त नामान्तरकरण सं. 79 को दुरस्त करने की सहमति जाहिर की व नामान्तरकरण सं. 79 को निरस्त कर नए सिरे से इन्तकाल दर्ज करने हेतु पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) बज्जु को रिमाण्ड करने में सहमति दी।

राज्य की ओर से पैरोकाराज ने मियाद दफा 5 का औपचारिक जवाब प्रस्तुत करने के स्थान पर अपनी बहस में बताया कि उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 की आज्ञा दिनांक 10.11.2004 के विरूद्ध अपील न्यायालय में दिनांक 09.03.2015 को प्रस्तुत की गयी जो 11 वर्ष देरी से प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मियाद के बिन्दु पर कोई आपत्ति नहीं की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व मियाद दफा 5 के आवेदन पत्र पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है। जहाँ तक अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 79 को कानुनी रूप से गलत दर्ज किया गया है। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली में अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख को भी गौर से देखा है तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया है नामान्तरकरण सं. 79 दिनांक 10.11.2004 को निरस्त किया जाता है।

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाती है व पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) बज्जु को रिमाण्ड की जाती है कि अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण को सुनकर पनः नामान्तरकरण सही हिस्से अनुसार दर्ज किया जावे।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2019.12.09 11:40:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: